

वित्त नियंत्रक, वन विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून
पत्रांक: नि0 2252/3-5 (आरक्षित-वनाग्नि सुरक्षा)
देहरादून, दिनांक: 22 जून, 2018

शुद्धि-पत्र

वन विभाग के अनुदान संख्या-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-101-05-00-आरक्षित वनों की अग्नि से सुरक्षा" के अन्तर्गत साख सीमा मर्दों में पत्रांक नि. 2377/3-5 (आरक्षित वनाग्नि सुरक्षा) दिनांक 24.05.2018 से ₹1,88,00,000/- (एक करोड़ अठ्ठासी लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है। उक्त पत्र के पृष्ठांकन के क्रम संख्या-12 के पैरा में टंकण त्रुटिवश टंकित मानक मद "29-अनुरक्षण के अन्तर्गत आवंटित भौतिक लक्ष्यों में फायर वाचर/फायर लाईन रखरखाव हेतु आवंटित धनराशि को वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील वन पंचायतों को वनाग्नि सुरक्षा कार्यों हेतु फायर वाचरों को रखने हेतु उनके खातों में स्थानान्तरित की जाये" के स्थान पर फायर वाचरों/फायर लाईनों के रखरखाव हेतु उपयोग किया जाये" पढ़ा जाए। शेष सभी शर्तें एवं प्रतिबन्ध पूर्ववत् लागू रहेंगे।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

संख्या: नि0 2252 (1)/3-5 (आरक्षित-वनाग्नि सुरक्षा) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार(ले0 एवं हक0), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. अपर सचिव, वित्त(अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23-लक्ष्मी रोड, देहरादून।
6. समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. प्रमुख वन संरक्षक, (वन्य जीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य वन संरक्षक, कुमाँऊ एवं गढ़वाल उत्तराखण्ड।
10. मुख्य वन संरक्षक, वनाग्नि एवं आपदा प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड।
11. समस्त सम्बन्धित वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
12. समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी-वन विभाग उत्तराखण्ड।
13. उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शुद्धि पत्र को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक